रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 234] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 1971/पौष 10, 1893

No. 234] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 1971/PAUSA 10, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Bureau of Public Enterprises)

RESOLUTION

New Delhi, the 31st December 1971

No. F. 6(90)-Coord/71.—Even though the performance of Public Sector Undertakings has been continuously under review by Government, the results generally achieved have not been commensurate with expectations. In view of the crucial role assigned to the Public Sector in the economic development of the country it is imperative that the performance of the Public Sector Undertakings is improved as early as possible

2. The problems confronting the Public Sector relate *inter alia* to the areas of management, organisation, co-ordination, technology and industrial relations which vary from unit to unit. An action-oriented identification of these problems and their solutions is, therefore, of crucial importance to our efforts for self-reliance and accelerated economic development. Government have, therefore,

decided to constitute a high level Action Committee with the following membership:—

Chairman

(i) Shri M. S. Pathak, Member, Planning Commission, New Delhi.

Members

(ii) Shri V. G. Rajadhyaksha, Chairman, Hindustan Levers Ltd., Bombay.

(iii) Shri K. M. George, Managing Director, ACC Vickers Babcock Ltd., Durgapur.

(iv) Shri C. P. Srivastava, Chairman, Shipping Corporation of India, Bombay.

(v) Prof. N. De, Indian Institute of Management, Calcutta.

The Bureau of Public Enterprises will function as the Secretariat of the Action Committee.

3. The Action Committee will devise ways and means of improving the performance of Public Sector Undertakings, namely,

(a) Maximisation of production;

(b) Minimisation of operating costs;

(c) Good preventive maintenance;

(d) Good employee/labour relations;

(e) Adequate R & D activities.

The Committee will examine the working of each Public Sector Undertaking in respect of:

(i) Adequacy of organisational set-up.

(ii) Suitability of systems of management.

(iii) Personnel policies.

(iv) Manpower strength.

(v) Adequacy of administrative, accounting and technical procedures, including inventory control.

(vi) Adequacy of technical expertise prevailing and identification of best ways of filling gaps in expertise.

(vii) Co-ordination with other public sector organisations and Government.

(viii) Examination of performance versus targets for the past and as projected for the future.

(ix) R & D activities in co-ordination with efforts of the National Council for Science and Technology.

4. The Action Committee will identify and assess deficiencies and drawbacks and ascertain the causes therefor in respect of each Undertaking. The Committee will also indicate what remedial action should be taken and what improvements, if any, be made therein with a view to its efficient performance and also gearing up the Undertaking for revival of growth in the industrial and allied sectors.

5. The Action Committee will devise its own procedure including consitution of Working Groups, assistance from individuals or Consultants to deal with specific areas. The Committee may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. The Ministries/Departments of the Government of India will furnish such information and documents and render such assistance as may be required by the Committee.

6. The Action Committee will complete its examination of most of the Public Sector Undertakings by June, 1973. It may submit its report on individual Undertakings or on specific areas from time to time, as and when necessary. After the completion of its examination of the Undertakings the Committee will function as a Standing Group for purposes of follow-up and periodic reviews or, in the alternative, recommend suitable institutional arrangements on a continuing basis for these purposes.

7. The recommendations of the Action Committee would be decided upon by Government at the highest level.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, Public Sector Undertakings, State Governments/Administrations of Union Territories and all others concerned.

A. N. BANERJI, Addl. Secy

वित्त मंत्रालय

(सरकारी उद्यम कार्यालय)

संकल्प

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1971

संख्या : एफ 6 (90)—समन्वय/71.—यद्यपि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सरकार द्वारा सतत समीक्षा की जाती रही है किन्तु उससे सामान्यतः आशानुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हुए। देश के आर्थिक विकास में सरकारी क्षेत्र को जो निर्णायक भूमिका सौंपी गयी है उसे देखते हुए यह बहुत आवश्यक है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य में यथासम्भव शीघ्र सुधार हो।

2. सरकारी क्षेत्र के समक्ष जो समस्याएं हैं वे अन्य बातों के साथ साथ प्रबन्ध, संगठन, समन्वय, और मालिक-मजदूर सम्बन्ध के क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं। और वे प्रत्येक एकक (यूनिट) में एक समान नहीं हैं। आत्मनिर्भरता और तेजी से आर्थिक विकास के लिए हमारे प्रयासों के सन्दर्भ में इन समस्याओं की कार्यपरक जानकारी प्राप्त करने और उनके समाधान ढूंढने का अत्यधिक महत्व है। अतः सरकार ने एक उच्च स्तरीय कार्य-समिति गठित करने का निर्णय किया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

अध्यक्ष

(1) श्री एम० एस० पाठक
सदस्य, योजना आयोग
नयी दिल्ली

सदस्य

(2) श्री० बी० जी० राजाध्यक्ष,
हिन्दुस्तान लीवर्स,
बम्बई

(3) श्री के० एम० जार्ज,
प्रबन्ध निदेशक,
ए० सी० सी० विकर्स बेबकाक,
दुर्गापुर

(4) श्री सी० पी श्रीवास्तव,
अध्यक्ष, भारतीय नौवहन निगम,
बम्बई

(5) प्रोफेसर एम० डे०,
भारतीय प्रबन्ध संस्थान,
कलकत्ता

सरकारी उद्यम कार्यालय कार्य-समिति के सचिवालय में रूप में कार्य करेगा ।

3. कार्य-समिति सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य में सुधार करने अर्थात् निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के तरीकों और साधनों का पता लगायेगी,

(क) अधिकाधिक उत्पादन

(ख) न्यूनतम संचालन लागत

(ग) अच्छा एवं निवारक अनुरक्षण

(ध) कर्मचारियों/श्रमिकों के साथ अच्छे सम्बन्ध

(ङ) अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी पर्याप्त कार्य

कार्य-समिति सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम की निम्नलिखित बातों के बारे में जांच करेगी :—

(1) संगठनात्मक व्यवस्था की पर्याप्तता

(2) प्रबन्ध पद्धतियों की उपयुक्तता

(3) कार्मिक नीतियां

(4) कर्मकारियो की संख्या

(5) प्रशासनिक, लेखा और तकनीकी प्रक्रियाओं की पर्याप्तता जिसमें तालिकागत वस्तुओं का नियंत्रण भी शामिल है ।

(6) मौजूदा तकनीकी विशेषज्ञों की पर्याप्तता तथा विशेषज्ञो की कमी को पूरा करने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों का पता लगाना ।

(7) सरकारी क्षेत्र के अन्य संगठनों तथा सरकार के साथ समन्वय

(8) पहले के लक्ष्यों तथा भविष्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में समग्र कार्य की जांच

(9) राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी परिषद् के प्रयासों से समन्वय रखते हुए अनुसंधान और विकास के कार्य

4. कार्य-समिति प्रत्येक उपक्रम के बारे में कमियों और त्रुटियों का पता लगायेगी और उनका निर्धारण करेगी तथा उनके कारण अभिनिश्चित करेगी। समिति यह भी बतायेगी कि औद्योगिक क्षेत्र तथा उसके सहायक क्षेत्रों में विकास को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से उपक्रम में कुशल कार्य-चालन और गतिशीलता लाने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही तथा कौन कौन से सुधार किये जाएं।

5. कार्य-समिति अपनी कार्यविधि स्वयं तैयार करेगी जिसमें विशिष्ट क्षेत्रों के लिए कार्य-दलों का गठन, व्यक्तियों अथवा परामर्शदाताओं से सहायता आदि शामिल हैं। समिति जो भी सूचना और साक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक समझेगी उसकी मांग कर सकेगी। मंत्रालयों/विभागों को इस प्रकार की सूचनाएं और दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और समिति जो सहायता चाहे, वह सहायता प्रदान करनी होगी।

6. कार्य-समिति सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उपक्रमों की जांच का कार्य जून 1973 तक पूरा कर लेगी। यह अलग अलग उपक्रमों या विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में समय समय पर, जब भी आवश्यक होगा, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। उपक्रमों की जांच का कार्य पूरा कर लेने के बाद यह समिति अनुवर्ती कार्य और नियतकालिक समीक्षाओं के लिए अथवा इनके बजाय उन प्रयोजनों के लिए निरन्तर रूप से समुचित संस्थागत प्रबन्धों की सिफारिश करने के लिए, एक स्थायी समिति के रूप में कार्य करेगी।

7. कार्य-समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा सर्वोच्च स्तर पर निर्णय किया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित कराया जाय।

यह भी आदेश है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों/संघीय राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा अन्य सभी सम्बन्धित वर्ग को भेजी जाय।

अशोक नाथ बनर्जी,

अपर सचिव,

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971